रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23, 1985/फाल्गुन 4, 1906
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, FEB 23, 1985/PHALGUNA 4, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1985

स-पीडब्ल्यू/पीईआ-47/82.—महापत्तन सभार समिति के बारे में इस मंत्रालय को अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यू/पीईआ-47/82 दिनांक 7 जनवरी 1984 के क्रम में भारत सरकार ने समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 7 जुलाई 1985 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

पी. वी. राव संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th February, 1985

No. PW/PEO-47/82.—In continuation of this Ministry's Notification No. PW/PEO-47/82, dated the 7th January, 1984 consisting the Major Ports Reforms Committee, Government of India have decided to extend the period by which the Committee will submit its report upto the 7th July, 1985.

P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985